इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2026

क्रमांक — 125/मप्रविनिआ/2026 — विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 39(2)(घ), धारा 40(ग), धारा 42(2) तथा (3) एवं धारा 86(1)(ग) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के निबन्धन तथा शर्ते) (पुनरीक्षण—प्रथम), विनियम 2021 {आरजी—24(I), वर्ष 2021} जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिए निबन्धन तथा शर्ते) (पुनरीक्षण—प्रथम), विनियम 2021 में षष्टम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिए निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2021 षष्टम संशोधन विनियम, 2021 {एआरजी–24(I)(vi), वर्ष 2026}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के 'राजपत्र' में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन :

मूल विनियमों में, विनियम 13.2 के स्थान पर नवीन विनियम 13.2 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"13.2 समस्त उपभोक्ता जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग (contract demand) धारित करते हैं तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्बाध (खुली) पहुंच (open access) की सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, को निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपेक्षित निर्बाध (खुली) पहुंच का आवेदन प्रस्तुत करते समय विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि क्या निर्बाध (खुली) पहुंच (एक) संविदा मांग तक सीमित है, या (दो) संविदा मांग से अधिक है, या फिर (तीन) उपरोक्त दोनों का संयोजन है :

परन्तु यह कि विद्यमान निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता (एक) संविदा मांग तक सीमित है, या (दो) संविदा मांग से अधिक है, या फिर (तीन) उपरोक्त दोनों के संयोजन की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु भी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे:

परन्तु आगे यह और कि यदि निर्बाध (खुली) पहुंच संविदा मांग तक प्रदान की गई हो तो ऐसे निर्बाध (खुली) पहुंच के उपभोक्ता के बिलिंग मापयन्त्र (billing meter) में अभिलेखित कुल ऊर्जा (energy) में केवल निर्बाध (खुली) पहुंच ऊर्जा का समायोजन किया जावेगा तथा बिलिंग मांग में निर्बाध (खुली) पहुंच मॉग का समायोजन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ग्रिड में ऊर्जा को अन्तःक्षेपित (inject) करने वाले समस्त (निर्बाध) खुली पहुंच उपभोक्ता यह सुनिश्चित करने हेतु कि कतिपय अन्तर्संयोजन (interconnection) पर वास्तविक प्रेषित क्षमता (actual-sent-out capacity) उक्त अन्तर्संयोजन पर वास्तविक प्रेषित क्षमता से अधिक तो नहीं है, उचित प्रयास करेंगे :

परन्तु यह और भी कि ऊर्जा तथा मांग के सन्तुलन तथा व्यवस्थापन के कार्यान्वयन तथा निर्बाध (खुली) पहुंच अनुबन्धों हेतु समस्त प्रवेश (entry) तथा निकास (exit) बिन्दुओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी को समय–समय पर यथासंशोधित तथा यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 का कड़ाईपूर्वक अनुसरण करना होगा :

परन्तु यह और भी यदि उपभोक्ता द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा का लाभ प्राप्त किया जाता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र को साप्ताहिक आधार पर तथा मासिक आधार पर भी प्रति माह की तृतीय तिथि तक राज्यान्तरिक नवीकरणीय ऊर्जा {पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} 15 मिनट के समय–खण्ड (time block) संबंधी उपभोक्ता को आकलित (क्रेडिट) वास्तविक ऊर्जा के विवरण उपलब्ध करायेगा।

(इन उपबन्धों के क्रियान्वयन की स्पष्टता के उद्देश्य से प्रकरण सोदाहरण (illustration) **अनुलग्नक–2** के अनुसार संलग्न किये जा रहे हैं)

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध मे किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

उमाकांत पाण्डा, सचिव.

अनुलग्नक—दो

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिए निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण—प्रथम), विनियम 2021 षष्टम संशोधन विनियम 2021 {एआरजी—24(I)(vi), वर्ष 2026}" के विनियम 13.2 हेतु सोदाहरण

कोई भी उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग (contract demand) धारित करता हो, वह निर्बाध (खुली) पहुंच के लिए समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के विनियम 3.4 में विनिर्दिष्टानुसार वोल्टेज़वार सीमाओं के भीतर अपनी किसी विद्युत मांग हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

कोई भी उपभोक्ता समन्वयन अभिकरण (nodal agency) को आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्बाध (खुली) पहुंच का आहरण निम्न विकल्पों के अनुसार कर सकता है, यथा, (एक) संविदा मांग के भीतर, (upto contract demand), (दो) संविदा मांग से अधिक हेतु (over and above contract demand), या (तीन) उपरोक्त दोनों विकल्पों के समन्वय से, अर्थात्, संविदा मांग के अन्तर्गत आंशिक खुली पहुंच मांग तथा संविदा मांग से अधिक अवशेष खुली पहुंच मांग।

निर्बाध (खुली) पहुंच ऊर्जा की तकनीकी व्यवहार्यता, ऊर्जा समायोजन तथा बिलिंग (Technical feasibility, Energy adjustment and billing)

प्रकरण प्रथम : जहां निर्बाध (खुली) पहुंच संविदा मांग के भीतर हो (Open Access is within the contract demand)

ऐसे प्रकरण में जहां कोई उपभोक्ता जो 33kV पर 4MVA की संविदा मांग धारित करता है, संविदा मांग के भीतर (अर्थात् 4MVA तक) निर्बाध (खुली) पहुंच के आहरण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करता हो :

एक. निर्बाध (खुली) पहुंच मांग को केवल संविदा मांग तक ही सीमित रखा जाएगा।

दो. आहरण (drawal) छोर पर पृथक तकनीकी व्यवहार्यता (technical feasibility) की आवश्यकता नहीं होगी।

तीन. समय—समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्र (Availability Based Tariff Meter) की स्थापना की जाएगी।

चार. **निर्बाध (खुली) पहुंच तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य ऊर्जा तथा मांग का पृथक्करण (Energy and Demand Segregation between Open Access and Discom) :**

समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर—पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन सौर,

पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में अनुसूचित ऊर्जा (energy scheduled) स्वचलित संचयन (stand alone storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथा प्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा। 15 मिनट के समय–खण्डों के दौरान निर्बाध (खुली) पहुंच मांग हेतु किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।

पांच. आहरित निर्बाध (खुली) पहुंच ऊर्जा पर कोई अतिरिक्त अधिभार (surcharge) आरोपित नहीं किया जा सकेगा।

छः. उपरोक्त समायोजनों के पश्चात्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आहरित विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ता संबंधी ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों की बिलिंग आयोग द्वारा जारी प्रयोज्य खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अधीन सुसंबद्ध टैरिफ अनुसूची (Tariff Schedule) तथा शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार की जाएगी।

सात. संविदा मांग {संविदा तथा संविदा मांग के अन्तर्गत निर्बाध (खुली) पहुंच मांग} से अधिक आहरित मांग को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के प्रति माना जाएगा तथा तद्नुसार इसकी बिलिंग की जाएगी।

प्रकरण द्वितीय : जहां निर्बाध (खुली) पहुंच संविदा मांग से अधिक हो (Open Access is Over and above the Contract demand)

ऐसे प्रकरणों में जहां कोई उपभोक्ता 33kV पर 4MVA की संविदा मांग धारित करता हो तथा संविदा मांग से 3MVA अधिक हेतु निर्बाध (खुली) पहुंच के आहरण हेतु विकल्प लेता है।

एक. संभरक (फीडर)/प्रणाली (System) के अन्तर्गत आहरण छोर पर तकनीकी व्यवहार्यता की आवश्यकता का प्रतिपादन 7MVA के कुल भार पर विचार करते हुए किया जाएगा {अर्थात्, संविदा मांग जो 4MVA है, में संविदा मांग से अधिक निर्बाध (खुली) पहुंच मांग पर विचार कर मान्य करते हुए जो कि 3MVA है, अर्थात् कुल मिलाकर इस उदाहरण में 7MVA है।

दो. तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन रहते हुए तथा समय–समय पर पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के खण्ड 3.4 में विनिर्दिष्ट वोल्टेज सीमाओं पर भी विचार करते हुए निर्बाध (खुली) पहुंच की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

तीन. समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्र (Availability Based Tariff Meter) की स्थापना की जाएगी।

चार. **निर्बाध (खुली) पहुंच तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य ऊर्जा तथा मांग का पृथक्करण (Energy and Demand Segregation between Open Access and Discom) :**

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा तत्संबंधी मांग तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में ऊर्जा तथा मांग अनुसूची स्वचलित संचयन (Stand alone Storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथाप्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा।

पांच. निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा आहरित तथा उपभोग की गई ऊर्जा पर अतिरिक्त अधिभार (additional Surcharge) अधिरोपित किया जाएगा (केवल केप्टिव विद्युत संयन्त्र को छोड़कर जिस हेतु कोई अतिरिक्त अधिभार आरोपित नहीं किया जाएगा)।

छः. उपरोक्त समायोजनों के पश्चात्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आहरित विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ता संबंधी ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों की बिलिंग आयोग द्वारा जारी प्रयोज्य खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अधीन सुसंबद्ध टैरिफ अनुसूची (Tariff Schedule) तथा शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार की जाएगी।

सात. कुल मांग {संविदा मांग तथा संविदा मांग से अधिक निर्बाध (खुली) पहुंच मांग का योग} से अधिक आहरित मांग को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के प्रति माना जाएगा तथा तद्नुसार इसकी बिलिंग की जाएगी।

प्रकरण तृतीय : जहां निर्बाध (खुली) पहुंच आंशिक रूप से संविदा मांग के भीतर हो तथा अवशेष संविदा मांग से अधिक हो (Open Access is partially within the contract demand and balance over and above the contract demand)

ऐसे प्रकरण में जहां कोई उपभोक्ता जो 33kV पर 4MVA की मांग धारित करता हो, संविदा मांग पर 4MVA हेतु निर्बाध (खुली) पहुंच तथा संविदा मांग से 3MVA अधिक आहरण का विकल्प प्रदान करता हो।

एक. संभरक (फीडर)/प्रणाली (system) आहरण छोर (drawal and) पर तकनीकी संभाव्यता पर विचार 7MVA कुल भार पर विचार करते हुए किया जाएगा (अर्थात्, संविदा मांग जो 4MVA है + संविदा मांग से अधिक खुली पहुंच मांग जो कि 3MVA है, अर्थात् इस उदाहरण हेतु, कुल मिलाकर 7MVA)

दो. तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन रहते हुए तथा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के खण्ड 3.4 में विनिर्दिष्ट वोल्टेज सीमाओं पर भी विचार करते हुए निर्बाध (खुली) पहुंच की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

तीन. समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्र (Availability Based Tariff Meter) की स्थापना की जाएगी।

चार. **निर्बाध (खुली) पहुंच तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य ऊर्जा तथा मांग का पृथक्करण (Energy and Demand Segregation between Open Access and Discom)**

(क) **संविदा मांग के अन्तर्गत खुली पहुंच हेतु ऊर्जा का समायोजन (Energy adjustment for Open Access within Contract demand)**

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में अनुसूचित ऊर्जा (energy scheduled) स्वचलित संचयन (stand alone storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथा प्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा। 15 मिनट के समय–खण्डों के दौरान निर्बाध (खुली) पहुंच मांग हेतु किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) **संविदा मांग से अधिक ऊर्जा तथा मांग समायोजन हेतु (For Energy and demand adjustment over and above contract demand)**

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा तत्संबंधी मांग तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में ऊर्जा तथा मांग अनुसूची स्वचलित संचयन (Stand alone Storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथाप्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा।

पांच केवल आहरित की गई निर्बाध (खुली) पहुंच ऊर्जा पर तथा संविदा मांग से अधिक निर्बाध (खुली) पहुंच से तत्संबंधी ऊर्जा की खपत पर ही अतिरिक्त अधिभार (additional surcharge) आरोपित किया जाएगा। (केप्टिव विद्युत संयन्त्र को छोड़कर जहां अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा)। संविदा मांग के अन्तर्गत निर्बाध (खुली) पहुंच मांग से तत्संबंधी आहरित तथा खपत की गई ऊर्जा पर कोई भी अतिरिक्त अधिभार आरोपित नहीं किया जाएगा।

छः उपरोक्त समायोजनों के पश्चात्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आहरित विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ता संबंधी ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों की बिलिंग आयोग द्वारा जारी प्रयोज्य खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अधीन सुसंबद्ध टैरिफ अनुसूची (Tariff Schedule) तथा शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार की जाएगी।

सात. कुल निर्बाध (खुली) पहुंच मांग से अधिक आहरित मांग पर (संविदा मांग तक निर्बाध (खुली) पहुंच + आधिक्य संविदा मांग) को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त ऊर्जा माना जाएगा तथा तदनुसार इसकी बिलिंग की जाएगी।

Bhopal, the 20th January 2026

No. 125/MPERC/2026 In exercise of powers conferred by Sections 39(2)(d), 40(c), 42(2),42(3) and 86 (1) (c) read with Section 181(1) of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh)(Revision-I) Regulations, 2021 {RG-24(I) of 2021} herein after referred to as the "**Principal Regulations**" namely: -

SIXTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR INTRA-STATE OPEN ACCESS IN MADHYA PRADESH) (REVISION-I) REGULATIONS, 2021

1. Short Title and Commencement-

1.1. These Regulations shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, (Revision-I) 2021 (Sixth Amendment) {ARG-24(I)(vi) of 2026}".**

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3. These Regulations shall extend to the whole of the Madhya Pradesh.

2. Amendment to Regulation 13 of the Principal Regulations

Regulation 13.2 of Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation, namely:

"13.2 All consumers having contract demand with the Distribution Licensee and eligible for availing open access under the provisions of these Regulations, shall at the time of application for availing open access, specifically mention whether the open access is required by them (i) upto the contract demand, (ii) over and above the contract demand or (iii) a combination of both:

Provided that the existing open access customers may also apply for availing open access (i) upto contract demand, (ii) over and above contract demand or (iii) a combination of both:

Provided further that if open access is granted upto the contract demand, adjustment of only open access energy shall be made in the total energy recorded in billing meter of such open access customer and no adjustment of open access demand shall be made in the billing demand:

Provided also that all the open access customers injecting power into the grid must make reasonable endeavours to ensure that their actual sent-out capacity at an inter-connection does not exceed the actual sent-out capacity for that inter-connection:

Provided also that for carrying out balancing and settlement of energy and demand at all entry and exit points relating to open access agreements, the Licensee shall strictly adhere to the Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2023,Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating stations) Regulations, 2018, and Madhya Pradesh Electricity Grid Code,2024, as may be applicable and as amended from time to time:

Provided also that Distribution Licensees shall provide the details of actual energy credited to consumer in 15 Minutes time block of Intra-State Renewables (Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage) to MP SLDC on weekly basis and on monthly basis by 3rd of every month, in case open access is availed by consumer.

(For sake of clarity, illustrations on implementation of these provisions are attached as **Annexure-II**)"

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

Annexure - II

Illustrations for Regulation 13.2of the MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, (Revision-I) 2021 (Sixth Amendment) {ARG-24(I)(vi) of 2026}.

A consumer having contract demand with licensee may opt for open access for any demand within the voltage wise limits specified in Regulation 3.4 of MP Electricity Supply Code, 2021 as amended from time to time.

A consumer may opt to draw open access demand (i) upto contract demand, (ii) over and above contract demand or (iii)a combination of both i.e. partial open access demand upto contract demand and remaining open access demand over and above contract demand at the time of application to the nodal agency.

Technical feasibility, Energy adjustment and billing of open access energy

Case 1: Open Access is within the contract demand

In case of a consumer having contract demand of 4 MVA at 33 kV opts to draw open access within contract demand (i.e. upto 4 MVA):

i. The open access demand shall be restricted upto contract demand only.
ii. No separate technical feasibility at drawl end would be required.
iii. ABT meter as per Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations 2006 as amended from time to time shall be installed.
iv. **Energy and Demand segregation between Open Access and Discom:**-Actual energy in case of Intra-State non-conventional energy sources (Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage) and energy scheduled in case of conventional energy sources including standalone storage or Inter-State renewable energy or any renewable energy other than Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage, as the case may be, after considering the applicable transmission and distribution losses, as may be applicable, shall be adjusted in each 15 minutes time blocks at consumer end as per priority specified in Regulation 15 of MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2021 as amended from time to time. No adjustment of open access demand shall be given in 15 minutes time blocks.
v. No additional surcharge will be leviable on open access energy drawn.
vi. Energy charges and demand charges of consumer for the supply drawn from Distribution Licensee after above adjustments shall be billed as per the relevant tariff schedule and terms and conditions under the applicable Retail Supply Tariff Order issued by the Commission.
vii. Demand drawn over and above the contract demand (contract demand and open access demand within the contract demand) shall be considered towards energy supplied by Distribution Licensee and shall be billed accordingly.

Case 2: Open Access is over and above the contract demand

In case of a consumer having contract demand of 4 MVA at 33 kV opt to draw open access for 3 MVA over and above contract demand:

i. Technical feasibility at drawl end would be required considering total load of 7 MVA (contract demand which is 4 MVA plus open access demand over and above contract demand which is 3 MVA i.e. total 7 MVA in this example) on the feeder/ system.

ii. The open access may be permitted subject to technical feasibility and also considering the voltage wise limits specified in clause 3.4 of MP Electricity Supply Code 2021 as amended from time to time.

iii. ABT meter as per Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations 2006 as amended from time to time shall be installed.

iv. **Energy and Demand segregation between Open Access and Discom:-**Actual energy and corresponding demand in case of Intra-State non-conventional energy sources (Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage) and energy and demand scheduled in case of conventional energy sources including standalone storage or Inter-State renewable energy or any renewable energy other than Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage, as the case may be, after considering the applicable transmission and distribution losses, as may be applicable, shall be adjusted in each 15 minutes time blocks as per priority specified in Regulation 15 of MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2021 as amended from time to time.

v. Additional surcharge will be leviable on the open access energy drawn and consumed by the open access customer (except in case of captive power plant where no additional surcharge is applicable).

vi. Energy charges and demand charges of consumer for the supply drawn from Distribution Licensee after above adjustments shall be billed as per the relevant tariff schedule and terms and conditions under the applicable Retail Supply Tariff Order issued by the Commission.

vii. Demand drawn over and above the total demand (contract demand plus open access demand over and above the contract demand) shall be considered towards energy supplied by distribution licensee and shall be billed accordingly.

Case 3: Open Access is partially within the contract demand and balance over and above the contract demand

In case of a consumer having contract demand of 4 MVA at 33 KV opt to draw open access for 4 MVA upto contract demand and 3 MVA over and above contract demand:

i. Technical feasibility at drawl end would be required considering total load of 7 MVA (contract demand which is 4 MVA plus open access demand over and above contract demand which is 3 MVA i.e. total 7 MVA in this example) on the feeder/ system.

ii. The open access may be permitted subject to technical feasibility and also considering the voltage wise limits specified in clause 3.4 of MP Electricity Supply Code 2021 as amended from time to time.

iii. ABT meter as per Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations 2006 as amended from time to time shall be installed.

iv. **Energy and Demand Segregation between Open Access and Discom: -**

(a) **Energy adjustment for open access within contract demand:-**Actual energy in case of Intra-State non-conventional energy sources (Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage) and energy scheduled in case of conventional energy sources including standalone storage or Inter-State renewable energy or any renewable energy other than (Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage) as the case may be, after considering the applicable transmission and distribution losses, as may be applicable, shall be adjusted in each 15 minutes time blocks as per priority specified in Regulation 15 of MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2021 as amended from time to time. No adjustment of open access demand shall be given in 15 minutes time blocks.

(b)**For energy and demand adjustment over and above the contract demand** - Actual energy and corresponding demand in case of Intra-State Non-conventional energy sources (Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage) and energy and demand scheduled in case of conventional energy sources including standalone storage or Inter-State renewable energy or any renewable energy other than (Wind, Solar, Wind-Solar Hybrid with or without storage) as the case may be, after considering the applicable transmission and distribution losses, as may be applicable, shall be adjusted in each 15 minutes time blocks as per priority specified in Regulation 15 of MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2021 as amended from time to time.

v. Additional surcharge will be leviable only on the open access energy drawn and consumed corresponding to open access demand over and above the contract demand (except in case of captive power plant where no additional surcharge is applicable).No additional surcharge shall be leviable on the open access energy drawn and consumed corresponding to open access demand within contract demand.

vi. Energy charges and demand charges of consumer for the supply drawn from Distribution Licensee after above adjustments shall be billed as per the relevant tariff schedule and terms and conditions under the applicable Retail Supply Tariff Order issued by the Commission.

vii. Demand drawn over and above the total open access demand (open access upto contract demand plus over and above contract demand) shall be considered towards energy supplied by Distribution Licensee and shall be billed accordingly.

प्रारुप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्रमांक **3/3/4/0002/2025-DIHS-LCMP**, मध्यप्रदेश कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हेज़ार्ड नियम, 1999 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 41-बी और धारा 112 व्दारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 115 व्दारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के 'मध्यप्रदेश राजपत्र 'में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनांक का अवसान होने पर या उसके पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार व्दारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में -

1. अनुसूची-1 में, भाग- दो खतरनाक रसायनों की सूची में अनुक्रमांक 432 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोडी जाए, अर्थात:-

क्र. संख्या	रसायन के नाम
(1)	(2)
"433.	बारूद या आतिशबाजी।"।

2. अनुसूची -1 के पश्चात, निम्नलिखित पादटिप्पण जोडी जाए, अर्थात:-

पादटिप्पण: "बारूद या आतिशबाजी" के क्रमश: वही अर्थ होंगे, जैसा कि विस्फोटक नियम ,2008 के नियम 2 में उनके लिए समनुदेशित किए गए है।"

3. अनुसूची -3 में,-

(1) भाग 1- नामोदिष्ट रसायन में, अनुक्रमांक 179 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोडी जाए, अर्थात:-

क्रमांक सं.	रसायन	मात्रा		सीएएस संख्या
		नियम 5, 7 से 9 तथा 13 से 15 के अनुप्रयोग के लिये	नियम 10 से 12 के अनुप्रयोग के लिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"180.	बारूद या आतिशबाजी या दोनों	01 किलोग्राम	15 किलोग्राम	-

(2) पादटिप्पण में, पादटिप्पण (2) के पश्चात निम्नलिखित पादटिप्पण (3) जोडी जाए, अर्थात :-

(3) "बारूद या आतिशबाजी" के क्रमश: वहीं अर्थ होंगे जैसा कि विस्फोट्क नियम, 2008 के नियम 2 में उनके लिए समनुदेशित किए गए है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd January 2026

No. 3/3/4/0002/2025-DIHS-LCMP, — The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Control of Industrial Major Accident Hazards Rules , 1999 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 41B and Section 112 of the Factories Act 1948 (63 of 1948) is hereby published as required by Section 115 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on expiry of 45 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person, with respect to the said draft of amendments, on or before the expiry of the period specified above, shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules-

1. In Schedule-1, in Part -II- List of HAZARDOUS CHEMICALS, after Serial number 432 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:--

Sl. No.	Name of the Chemical
(1)	(2)
"433.	GUN POWDER OR FIREWORKS."

2. After Schedule-1, the following Footnote shall be added, namely:-

"Footnote: " Gunpowder" and "Fireworks" shall have the same meanings respectively, as assigned to them in rule 2 of the Explosive Rules, 2008."

3. In Schedule-3,-

(1) In Part I-NAMED CHEMICALS, after serial number 179 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

Sl. No.	Chemical	Quantity for application of Rules		CAS Number
		5,7 to 9 & 13 to 15	10 to12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
180.	Gun powder or Fireworks or both	01 kg	15 kg	-

(2) In footnotes, after footnote (2), the following footnote shall be added, namely:-

"(3) "Gunpowder" and "Fireworks" Shall have the same meanings respectively, as assigned to them in rule of the explosive Rules, 2008.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY KUMAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.